न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 124 / 2018

मोहनसिंह पुत्र नत्थी जाति माली निवासी — हाल पुराने अस्पताल के पीछे गोपालगढ मौहल्ला, भरतपुर .....वादी

बनाम

1. श्रीमती कमला बेवा रामबाबू } जातियान माली निवासी—पुराने
2. विक्रम उर्फ हेला पुत्र रामबाबू } अस्पताल के पीछे, गोपालगढ भरतपुर
3. मोनिका पुत्री रामबाबू पत्नी हरिशंकर जाति माली निवासी—जागीर बांदीकुई, जोधा की ढाणी, वार्ड सं0 1, पंचायत माडेड़ा, बांदीकुई, जिला दौसा (राज0)
4. ओमवती पुत्री नत्थी पत्नी मानसिंह जाति माली निवासी—भूड़ा गेट, डीग, तह. डीग, भरतपुर।
5. पुष्पा पुत्री नत्थी पत्नी भरतलाल जाति माली निवासी—पारस वालों का वास, बांदीकुई, जिला दौसा।
6. भगवती पुत्री नत्थी पत्नी रोशनलाल जाति माली निवासी—कामां गेट, डीग तह0 डीग।
7. लक्ष्मी पुत्री नत्थी पत्नी संतोष जाति माली निवासी—कच्चा तालाब डीग, तह0 डीग।
8. विमला पुत्री नत्थी पत्नी सत्यपाल कटारा जाति माली निवासी—प्लॉट नं. 101, गोल्डन पार्क, आगरा रोड़, पालडी मीना, जयपुर।
9. सुशीला पुत्री नत्थी पत्नी भोलाराम जाति माली निवासी—भूड़ा गेट डीग, तह0 डीग। .....**असल प्रतिवादीगण**
10. मानसिंह पुत्र श्री नत्थी जाति माली निवासी—हाल पुराने अस्पताल के पीछे, गोपालगढ़ मौहल्ला, भरतपुर। .....**तरतीवी प्रतिवादीगण**

दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः— 04.02.2020

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर 404 / 0.32 वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 3 में स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम वहिस्सा बराबर गैरखातेदार साल 38 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

है। रामबाबू पुत्र नत्थी का स्वर्गवास हो चुका है। उसके वारिस प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 है एवं श्यामा पत्नी नत्थी का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा निम्नलिखित है –

नत्थी

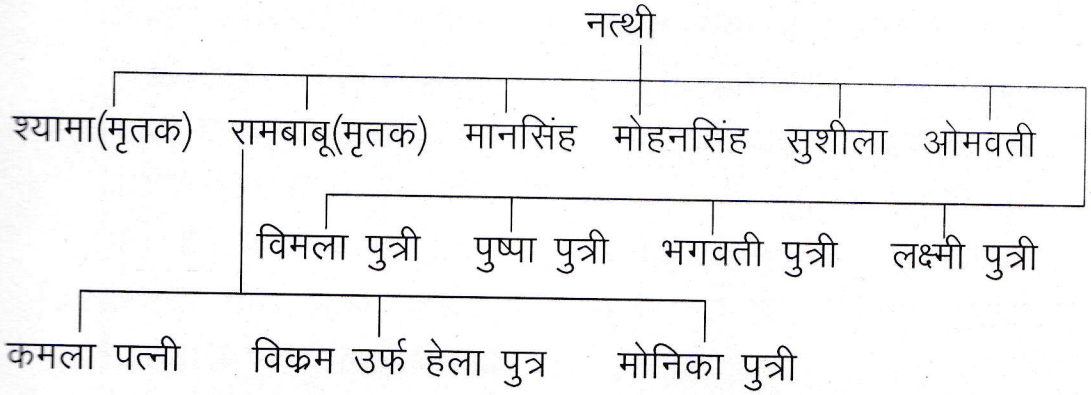

श्यामा(मृतक) रामबाबू(मृतक) मानसिंह मोहनसिंह सुशीला ओमवती

विमला पुत्री पुष्पा पुत्री भगवती पुत्री लक्ष्मी पुत्री

कमला पत्नी विक्रम उर्फ हेला पुत्र मोनिका पुत्री

नत्थी पुत्र रतना का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2014 को वमुकाम भरतपुर में हो चुका है। विवादित आराजी खसरा नंबर 404/0.32 साविक खसरा नंबर 1881 मिन 17 बीघा में से बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया है। साविक खसरा नंबर 1881 वादी एवं प्रतिवादीगण के बाबा, पिता नत्थी पुत्र रतना को आवंटन हुआ था। जिसके गैर खातेदारी के इन्द्राज जमाबंदी संवत 2015 राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे हैं। आवंटन/गैर खातेदारी दर्ज होने के दस वर्ष बाद स्वतः ही खातेदारी अधिकार नत्थी पुत्र रतना को प्राप्त हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी इन्द्राज कर रखे हैं व वर्तमान में गैरखातेदारी के इन्द्राज साल 38 दिखा रखे हैं, जबकि गैरखातेदारी के इन्द्राज को करीब 60 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व बाबा नत्थी को खातेदारी के इन्द्राज स्वतः ही प्राप्त हो चुके हैं।

साविक आराजी खसरा नंबर 1881 मिन रकबा 2 बीघा वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 3 तहसील व जिला भरतपुर का हाल खसरा नंबर 404/0.32 बनाया गया है। नत्थी पुत्र रतना का देहान्त दिनांक 06.01.2014 को हो जाने के बाद सभी वारिसान के नाम दाखिल खारिज खोलकर गैरखातेदारी के

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हो चुके हैं। नत्थी पुत्र रतना द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 30.10.1998 को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के हक में उप पंजीयक भरतपुर के यहां पंजीबद्ध करा दी गई थी। हाल खसरा नंबर 404 जो साविक खसरा नंबर 1881 से बनाया गया है, जिसको मृतक नत्थी द्वारा वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। अपने जीवन काल में नत्थी द्वारा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के हक में हुई वसीयत से वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त हो गये हैं। वदी वजह वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी हाल आराजी खसरा नंबर 404/0.32 पर अपने आपको वहिस्सा बराबर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

नत्थी पुत्र रतना की मृत्यु के बाद हाल आराजी खसरा नंबर 404/0.32 पर विरासत के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अंकित हुए हैं। जबकि अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार संबंध नहीं है। राजस्व रिकार्ड में उक्त प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 के नाम हो रहे गलत इन्द्राज से प्रतिवादी के मन में बदयान्ती आ गई है, जबकि विवादित आराजी पर उनका आज तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी का ही कब्जा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार संबंध नहीं है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी द्वारा असल प्रतिवादी से गलत इन्द्राजात को दुरुस्त कराने की कहा तो असल प्रतिवादीगण द्वारा इन्द्राजों को दुरुस्त कराने से मना कर दिया व दि0 02.08.2018 को धमकी दी कि वे विवादित आराजी से वादी व तरतीवी प्रतिवादी को कब्जे से बेदखल कर देंगे। वदी वजह वादी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी की जारी करा पाने के अधिकारी है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नंबर 404/0.32 वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 3 पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी को पंजीकृत वसीयत

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

तारीखी 30.10.1998 उप पंजीयक भरतपुर के आधार पर वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी वहक वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि असल प्रतिवादीगण वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के कब्जे खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 404/0.32 चक नं0 3 भरतपुर में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा पैदा नहीं करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 9 जरिए अधिवक्ता दि0 20.12.2018 को हाजिर हुए। दि0 08.07.2019 को प्रतिवादीगण सं. 4,5,9 व 10 की ओर से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। दि0 08.07.2019 को ही शेष प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. सूचना के न्यायालय में हाजिर न होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं0 4,5,9 व 10 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश कर दावा वादी डिक्री किया जाने में कोई भी आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

दिनांक 09.10.2019 को वादी द्वारा साक्ष्य में PW1 मोहनसिंह के बयान पेश किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा प्रदर्श 1 हाल जमाबंदी संवत 2072–2075, प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड वसीयत दि0 30.10.1998, प्रदर्श 3 रिपोर्ट पटवारी/तहसीलदार भरतपुर, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 2018, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2019, प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2026, प्रदर्श 7 खसरा भू–प्रबंध विभाग, प्रदर्श 8 जमाबंद संवत अपठित प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 29.11.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई तथा पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई।

उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते हैं कि वादीगण द्वारा वादपत्र हाल खसरा नंबर 404/0.32 वाके कस्बा भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

चक नं0 3 जो साविक खसरा नंबर 1881 मिन रकबा 17 बीघा में से बंदोबस्त विभाग ने बनाया है, पर वर्तमान इन्द्राज जो वादी व प्रतिवादीगण असल व तरतीवी के नाम दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने हेतु पेश किया है तथा उपरोक्त आराजी से गैर–खातेदारी के इन्द्राज कलमजन किए जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं0 10 को गैर–खातेदार से खातेदार दर्ज कराने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आता है कि हाल खसरा नंबर 404/0.32 साविक खसरा नंबर 1881 मिन रकबा 17 बीघा में से ही निर्मित किया गया है। जमाबंदी प्रदर्श 8 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1881 मिन रकबा 4 बीघा पर नत्थी वल्द रतना कौम माली साकिन सूरजपोल पट्टेदार एक साल के इन्द्राज दर्ज हैं। जमाबंदी संवत 2018 पर इन्द्राज नत्थी वल्द रतना कौम माली साकिन सूरजपोल गैरखातेदार के इन्द्राज हैं तथा प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2019 पर नत्थी वल्द रतना कौम माली गैरखातेदार तथा प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2026 में भी उक्त इन्द्राज स्पष्ट रूप से दर्शित हैं। उपरोक्त जमाबंदियों के अवलोकन से यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि उक्त आराजी नत्थी पुत्र रतना कौम माली की स्वयं की आराजी रही है। वादी द्वारा सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 2 वसीयत दिनांक 30.10.1998 पेश की है। उक्त वसीयत नत्थी पुत्र रतना द्वारा वादी व तरतीवी प्रतिवादी (मानसिंह व मोहनसिंह) के हक में किया होना स्पष्ट रूप से दर्शित है। उक्त वसीयत के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट सामने आता है कि वादग्रस्त खसरा नंबर साविक 1881 मिन रकबा 4 बीघा वाके कस्बा भरतपुर चक नंबर 3 की तथा अपनी अचल संपत्ति की वसीयत नत्थी द्वारा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हक में की गई है। चूँकि न्यायालय द्वारा पूर्व विवेचन में जमाबंदी प्रदर्श–4,5,6 व 8 के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आराजी नत्थी की स्वयं की आराजी रही है । इसलिए नत्थी को उक्त आराजी घोषित करने का पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

अधिकार प्राप्त था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि नत्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत वादी व तरतीवी प्रतिवादी के हक में कर दी है। इसलिए नत्थी के बाद उक्त आराजी पर समस्त अधिकार वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को प्राप्त हो जाते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 3 तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 404/0.32 पर वर्तमान इन्द्राज कलमजन किए जाकर वादी मोहनसिंह व तरतीवी प्रतिवादी मानसिंह को वहिस्सा बराबर का गैर–खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी व तरतीवी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर